बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की ओर से दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को आयोजित उद्यमी पंचायत में प्रस्तुत सुझाव

(1) **उद्योग के भूमि के संबंध में :–**

i. विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुनर्रीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है । औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR का दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।

अभी हाल में उद्योग विभाग ने औद्योगिक भूमि का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के संबंध में एक प्रस्ताव निबंधन विभाग को भेजा है जिसमें औद्योगिक भूखंड के लिए निर्धारित होने वाले MVR को कृषि कार्य के लिए निर्धारित MVR का 1.5 गुणा निर्धारित किए जाने की अनुशंसा है । अत: इसका कार्यान्वयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।

ii. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । हमें आशा है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाएगी :–

- भूमि बैकों की स्थापना किया जाए ।
- बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।
- ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाए ।
- औद्योगिक उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर इलाकों की चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।
- नई औद्योगिक इकाईयॉ यदि अपनी आवश्यकता का 50% या 60% या 70% से अधिक जमीन की व्यवस्था अपने स्तर पर कर लेती हैं तो बाकी बचे जमीन हेतु बगल में यदि गैर–मजरूआ जमीन हो तो उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है । यदि जमीन की और आवश्यकता शेष रह जाती है तो उसे भी सरकार बाजार दर पर जमीन अधिग्रहण कर उद्यमी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है ।

क्रमश: 2

(2) **दुध प्रसंस्करण से सम्बंधित राज्य में लगने वाले प्रोजेक्ट के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में किए गये प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता**

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 की कंडीका – 3.1 के अंतगर्त Milk Processing & Dairy Product Manufacturing इकाई के स्थापना की बात कही गयी है, लेकिन साथ ही साथ इसी कंडीका में दिए गये Note इस प्रकार है :–

"For consideration under the priority sector, procurement of milk by the units shall not be carried out in areas where dairy co-operatives formed by COMFED are already in operation".

कंडीका नीति का उक्त प्रावधान निजी क्षेत्र के अधीन दुध प्रसंस्करण इकाई के स्थापना को हतोत्साहित करता है। वर्तमान में राज्य के 9 प्रमंडलों में से 6 प्रमंडल में दुध procurement करने से निजी क्षेत्र के दुध प्रसंस्करण इकाईयों पर रोक लगा रखा गया है। यह एक विरोधाभाष है कि जहां राज्य में उत्पादित होने वाले कुल दुध का मात्र 17 प्रतिशत का प्रसंस्करण किया जा रहा है, वहीं राज्य में निजी क्षेत्र में लगने वाले इकाई को हतोत्साहित भी किया जा रहा है। अत: अनुरोध है कि नीति की उक्त कंडीका को संशोधित किया जाए, जिससे कि दुध प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश हो सके जो ultimately राज्य के औद्योगिकीकरण को गति देगा।

(3) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का Mid-Term Review हेतु :–

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का पूर्व के औद्योगिक नीतियों के समान Mid-Term Review किया जाए ।

(4) खरीद अधिमानता नीति :–

अभी खरीद अधिमानता नीति का लाभ स्थानीय उद्यमी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि टेंडर में Brand, Turnover & Turn-key इत्यादि की शर्ते लगायी जा रही है । अत: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में प्रावधानित खरीद अधिमानता नीति को इस तरह लागू किया जाना चाहिए कि स्थानीय उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके। खरीद अधिमानता नीति अंतर्गत ब्रांड, टर्न ओवर एवं टर्न–की की बाध्यता को दूर किया जाना चाहिए।

(5) बिहार में भी भारत सरकार के एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम हेतु बी–हैवी मोलासेस से एथनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में

राज्यों में शीरे की पर्याप्त उपलब्धता के दृष्टिगत पेट्रोलियम आयात को कम करने एवं विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना एथनॉल ब्लेण्डिंग प्रोग्राम (E.B.P) के अन्तर्गत शीरे से एथनॉल (डिनेचर्ड एनहाइड्रस अल्कोहल) का निर्माण किये जाने एवं पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनाल मिश्रित

क्रमश: 3

किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि की प्रबल संभावनाओं, शीरे की प्रचुर उपलब्धता की दृष्टिगत उसका निस्तारण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है । अत: राज्य सरकार को भारत सरकार की इस योजना को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से बी–हैवी मोलासेस से भी एथनॉल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाए । इसके लिए विभाग को राज्य के चीनी मिलों का भी आग्रह प्राप्त है ।

(6) **<u>उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में :–</u>**

राज्य में बैंकों के नकारात्मक सोच के कारण ऋण मिलने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा समय पर ऋण नहीं मिलने से उद्योग के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है । अत: राज्य सरकार को राज्य के निगमों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था का आग्रह है ।

(7) **<u>BIADA से संबंधित सुझाव :–</u>**

i BIADA द्वारा सुक्ष्म, एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को भूमि आवंटन किये जाने के बाद 10% राशि 15 दिनों के अन्दर जमा करनी होती थी एवं 90% राशि को 20 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में बगैर किसी सूद के लिया जाता था लेकिन हाल में बियाडा द्वारा निर्गत एक कार्यालय आदेश के द्वारा उक्त भुगतान योजना में परिवर्तन करते हुए सुक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को उपलब्ध करायी गई रियायत को खत्म कर दिया गया है। नये आदेश के अनुसार अब सभी प्रक्षेत्र के उद्योगों को चाहे वो सूक्ष्म या लघु प्रक्षेत्र के श्रेणी में हो अथवा मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र में, उन्हें भूखंड आवंटन के बाद पहली किस्त के रूप में भूखंड के मूल्य का 30 प्रतिशत भुगतान करना पड़ेगा, जबकि शेष राशि का भुगतान 7 वार्षिक किस्तों में 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करने का प्रावधान किया गया है। बियाडा द्वारा सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को आवंटित भूखण्ड के मूल्य के भुगतान की पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया को पुन: लागू करने का आग्रह है ।

ii बियाडा द्वारा औद्योगिक इकाईयों को आवंटित भूमि को उत्पादन में आने के कुछ वर्षों के उपरान्त उस इकाईयों के भूमि को फ्री होल्ड में स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

iii वर्तमान में BIADA द्वारा भूमि का आवंटन Manufacturing Sector के लिए किया जा रहा है परन्तु Investment का प्रस्ताव अन्य Sector तथा Service Sector से भी आ रहा है पर BIADA से जमीन नहीं मिलने के कारण Investment नहीं हो पा रहा है । Investment कराने के लिए इस सेक्टर के लिए भी भूमि आवंटन का विचार कर निर्णय लिया जाना चाहिए ।

क्रमश: 4

(8) GST का Reimbursement के संबंध में :–

1 जुलाई 2017 से राज्य में VAT/Entry Tax के बदले Goods & Service Tax (GST) प्रभावी किया गया है लेकिन अभी तक GST के अन्तर्गत किये गये भुगतान के संबंध में उद्योगों के लिए Reimbursement से संबंधित कोई नीति नहीं होने के कारण इसका भुगतान लंबित है ।

(9) विद्युत संबंधित सुझाव :–

i. विद्युत की दरें प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए लेकिन इसकी दरें BERC DISCOMs के Financial Figures के आधार पर करती है । अत: सरकार से अनुरोध है कि इसके प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए राज्य में अवस्थित इकाईयों को समुचित Incentive दिया जाना चाहिए ।

ii. बिजली की खपत के लिए संग्रह शुल्क के लिए बिजली आपूर्ति की दर केवल KWH/KVAH के लिए बनायी जानी चाहिए (Tariff of Electric supply should be made single part only by collecting charges for electricity consumed in terms of KWH/KVAH only). अभी KVA एवं KVAH के लिए अलग–अलग शुल्क देना होता है ।

iii. राज्य में अवस्थित सभी इकाईयों (नया एवं पुराना) को पूर्व में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 एवं 2011के तहत बिजली में AMG/MMG से छूट प्राप्त था । अत: अनुरोध है कि पूर्व की भांति राज्य के सभी नई एवं पुरानी इकाईयों को AMG/MMG के Charges से छूट प्रदान किया जाना चाहिए ।

(10) आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित सुझाव :–

i राज्य के अधिकधिक क्षेत्रों में चहुमुखी विकास यथा – सड़क, पुल एवं विद्युतीकरण के फलस्वरूप राज्य के उद्यमी विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, कृषि, मुर्गीपालन, मतस्य पालन, बकरी पालन आदि का उद्यम लगा रहे हैं । अत: इन सेक्टर को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

ii. दीघा सड़क–सह–रेल पुल पर रात्रि में एक ओर से मालवाहक वाहनों को पटना की ओर से केवल रात्रि में जाने की अनुमति प्रदान की गई थी परन्तु जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2018 से कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान एवं सोनपुर मेला के नाम पर मालवाहक वाहनों को रात्रि में भी जाने पर रोक लगा दिया गया है । फलस्वरूप उत्तरी बिहार में अवस्थित इकाईयों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है । अत: अनुरोध है कि दीघा सड़क–सह–रेल पुल पर दोनों ओर से मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रारम्भ कराया जाना चाहिए ।

क्रमश: 5

(11) <u>निर्माण से संबंधित सुझाव :–</u>

i. विभाग की ओर से लम्बे समय से अनुमोदन के पश्चात भी अभी तक New Bihar Building Bye Laws को अधिसूचित नहीं किया जा सका है । इसे शीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिए ।

ii. बालू का अभाव एक बराबर की नियती बन गई है जिसके कारण निर्माण क्षेत्र पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अत: अनुरोध है कि इसके लिए एक ठोस नीति बनायी जाए जिससे कि सहजता से बालू उपलब्ध हो सके ।

iii. भवन का नक्शा अनुमोदन के लिए सभी स्थानीय नगर निकायों में Single Window System बनाया जाना चाहिए साथ ही भवन का नक्शा पास कराने के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए और यदि उक्त समय सीमा के अन्दर संबंधित अधिकारी नक्शा का अनुमोदन नहीं करते हैं तो उनका स्वत: अनुमोदन (Deemed approved) माना जाना चाहिए ।

iv. सरकार की ओर से निर्माण साइटों पर सुरक्षा का विशेष व्यवस्था किया जाना चाहिए विशेष कर सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में ।

v. Real Estate Regulatory Authority (RERA) को और Builders Friendly बनाया जाना चाहिए तथा RERA के कारण 2017 के पूर्व की जो फलैट का निबंधन रूका हुआ है उसे तत्काल चालू कराया जाना चाहिए ।

****